बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांकः- 207208 पटना, दिनांकः- 05/11/14

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(लक्ष्य निर्धारण)102-06/2014

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह,
आयुक्त मनरेगा ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषयः- **दिनांक-15.11.2014 को प्रखंड स्तर पर आयोजित इंदिरा आवास के लाभुकों के बैंक खाता में राशि अंतरण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु स्थानीय माननीय सदस्य बिहार विधान मंडल को संबोधित माननीय विभागीय मंत्री का पत्र हस्तगत करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक-206966 दिनांक-31.10.2014 द्वारा दिनांक-15.11.2014 को प्रखंड स्तर पर आयोजित इंदिरा आवास के लाभुकों के बैंक खाता में राशि अंतरण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु स्थानीय माननीय सदस्य बिहार विधान मंडल को आमंत्रित करने का दिशानिर्देश दिया जा चुका है । उक्त कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित कराने में सहयोग प्रदान करने के लिए माननीय विभागीय मंत्री ने अपने अर्द्ध-सरकारी पत्र सं0-824 दिनांक-03.11.2014 द्वारा भी माननीय विधान मंडल सदस्यों से अनुरोध किया है ।

अतः उक्त पत्र की प्रति अनुलग्नक सहित संलग्न करते हुए अनुरोध है कि स्थानीय सभी माननीय विधान मंडल सदस्यों को इसे अपने माध्यम से हस्तगत कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

अनुलग्नक-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(मिहिर कुमार सिंह)
आयुक्त मनरेगा ।

(157)

नीतीश मिश्रा
Nitish Mishra

मंत्री
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार
- सह -
अध्यक्ष
राज्यस्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति,
बिहार

पत्रांक / Ref. No. : अर्द्ध सरकारी पत्र सं०224 दिनांक 3-11-2014 दिनांक / Date :

प्रिय महोदय/महोदया,

इंदिरा आवास योजना के पारदर्शी कार्यान्वयन कराने के लिए विगत कई वर्षों से इंदिरा आवास के लाभुकों को प्रथम किस्त की सहायता राशि की प्रविष्टि किया हुआ बैंक पासबुक उपलब्ध कराने हेतु प्रखंड स्तर पर शिविर आयोजित किये जाते रहे हैं तथा आपके द्वारा अपने क्षेत्राधीन प्रखंड में आयोजित उक्त शिविरों से संबंधित कार्यों का अनुश्रवण करने एवं सहभागिता से उल्लेखनीय सफलता भी मिली है ।

इस योजना में और अधिक पारदर्शिता की दृष्टि से इस वर्ष पूरे राज्य में एक ही दिन दिनांक– 15.11.2014 (शनिवार) को चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए इंदिरा आवास के लक्ष्य के अनुरूप शत्–प्रतिशत लाभुकों को सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु उनके बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से प्रखंड स्तर से राशि का अंतरण करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है । इस हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को विभाग द्वारा दिये गये निर्देश **(पत्रांक– 206966 दिनांक– 31.10.2014)** की प्रति अवलोकनार्थ **संलग्न** है । विभाग की भावना है कि लाभुकों के बैंक खाता में राशि अंतरण का कार्यक्रम आपकी गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हो तथा जनहित के लिए विकास कार्यक्रमों के संबंध में आपकी भावनाओं से ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा, इंदिरा आवास एवं जीविका से संबंधित कर्मी अवगत हो सके और विकास कार्यों में और अधिक गति ला सकें ।

यदि आपके विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत एक से अधिक प्रखंड हो तो कार्यक्रम के लिए प्रखंडवार अलग–अलग समय निश्चित कर उप विकास आयुक्त को इसकी जानकारी देने की कृपा की जाय ताकि तदनुरूप प्रखंडों का कार्यक्रम निर्धारित किया जा सके ।

आग्रह है कि प्रखंड स्तरीय उक्त कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित कराने में सहयोग करना चाहेंगे ।

सधन्यवाद,

भ व दी य

Nitish Mishra

(नीतीश मिश्रा)

सेवा में,

सभी माननीय सदस्य,
बिहार विधान मंडल ।

कार्यालय (Office) : पुराना सचिवालय, पटना-800015, टेलीफैक्स (Telefax) : 0612-2205331
आवास (Resi.) : 12, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना। दूरभाष (Tele.) : 0612-2215218, टेलीफैक्स (Telefax) : 0612-2215977
ई-मेल (E-mail) : nitishmishraoffice@gmail.com, वेबसाईट (website) : www.rdd.bih.nic.in

App 1124.doc